

पत्रावली पेश हुई समयपत्र उपस्थित है/पीठासी... की अवकाश में होने/अन्य... में व्यस्त होने/कार... से पत्रावली वास्त... (लाइव्य पारी) दिनांक 26/2/20 को पेश हो।

26/2/20

पत्रावली पेश हुई वादी कायिबस्त उपस्थित साक्ष्य पत्र करके हेतु निवेदन करते हुए बहस की जाती वादी की बहस सुनी जाती. वास्तु निर्णय पत्रावली दिनांक 27/2/20 को पेश हो।

27/2/20

पत्रावली पेश हुई कायिबस्त वादी उपस्थित बहस पर पर प्रकृत शिका तो पाया कि वादी स्वातेदार कृषक की प्रतिवादी को समझ जारी करते के बाद वाक्यरूप सूचना के उपस्थित नहीं होने से दिनांक 6.2.2019 को एक तरफ वार्मवादी का निर्णय है - प्रकार वादीकी स्वातेदारी भूमि पर प्रतिवादी को प्रकृत करते का कोई कायिबस्त नहीं. वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में गाम पीथाका खेड की पत्रावली संवत् 2071 से 2074 के खात संख्या 198 भी प्रति पेश की जिससे प्रभावित है कि वादी विवाहित पत्नी का स्वातेदार कृषक है इसी स्थिति के वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित है।

प्र०स० 55/2016
2016/00221

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
प्र० सं० 55/2016 (2016/0022)

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 188
राजस्थान शाब्दकारी अधिनियम 1955 स्वीकार
कर आदेश दिया जाता है कि वाद में वर्णित
ग्राम पिथा का खेडा की झाराजी खसरा नम्बर
206 शकवा 0.37 हेक्टर भूमि पर प्रतिवादी
जैसी प्रकार का निर्माण न तो स्वयं करे न
अन्य से करावे तथा वादी तब की झाराजीभत
पर दरकलदांजी न स्वयं करे न अन्य से
करावे इस आशय की स्थायी क्रिषेधाज्ञा बन्द
वादी विरुद्ध प्रतिवादी जारी जाती है इसी क्रम
वाद में डिक्री जारी हो, पत्रावली केसल
शुभार होकर नम्बर से अभ हो।

निर्णय आज दिनांक 27.02.2020 को सुनाया
गया।

(Signature)

(सुन्दर लाल वाखोडा)
RAs

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर (नीलवाडा)

